

10.8.20

वकील वादी ^{साँभर लेक} में वादी उपस्थित होकर
विही प्रार्थना-पत्र पेश किया जिस
पर पत्रावली तलब की गयी वकील
वादी अपना वाद आगे नहीं चलाना
चाहता है। अतः विही प्रार्थना-पत्र
के आधार पर वाद स्वारिज कालाना
चाहता है पत्रावली का अवलोकन
किया गया। अवलोकन करने के पश्चात्
वादी का वाद विही प्रार्थना-पत्र के
आधार पर स्वारिज किया जाता है।
पत्रावली फौसल शुमार हो कर दर्ज
नम्बर से कर लो। आदेश शुले
न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

ओमप्रकाश

10/8/20

